न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–826 सन् 2013

राजबल्लभ राय.....वादी

बनाम

रामदहिन राय व अन्य.....प्रतिवादी

दिनांक– 01.02.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 03.08.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी सं0 01 राजबल्लभ राय की मृत्यु दिनांक 22.11.2018 को हो चुकी है। परंतु सूचना देने में विलंब हुआ, क्योंकि वादी काफी सीधा–साधा वो अनपढ़ व्यक्ति है। उसे कानून की पूर्ण जानकारी नहीं है। बातचीत के कम में अपने अधिवक्ता से बताया की राजबल्लभ राय की मृत्यु हो चुकी है। तब अधिवक्ता से कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वादी सं0 01 राजबल्लभ राय का नाम इस वाद से कलमजद करना वो इनके वारिसानों का नाम कलमबद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत वाद में वादी राजबल्लभ राय का नाम कलमजद करना वो आवेदन में लिखित वारिसानों का नाम कलमबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाए।

वादी की ओर से उपसमन को आपास्त करने हेतु एवं विलंब को माफ करने हेतु आवेदन दिनांक 03.08.2021 को दाखिल किया गया है। जिसमें वादी का कथन है कि वादी सीधा–साधा ग्रामीण लोग हैं, जिनको कानून की प्रकिया का कोई जानकारी नहीं है। वादी के अधिवक्ता जब अभिलेख देख रहे थे तो वादी ने वादी सं0 01 राजबल्लभ राय की मृत्यु के बारे में कहा, तब अधिवक्ता ने इस वाद में प्रकिया को

आगे बढ़ाना शुरू किया। वादी ने जानबूझकर सूचना देने में विलंब नहीं किया है। अतः उपसमन को अपास्त करने हेतु एवं विलंब को माफ करते हुए प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकार किया जाए।

प्रतिवादी सं0 02 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 14.09.2021 को दाखिल किया गया। जिसमें उनका कथन है कि वादी ने जिन तथ्यों के साथ आवेदन दाखिल किया है वह स्वीकार होने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी ने मृत्यु का आवेदन आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत दाखिल किया है जो कानूनन मान्य नहीं है। वादी ने आवेदन विलंब अवस्था में दाखिल किया है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 01 राजबल्लभ राय पक्षकार थे जिनकी मृत्यु के संबंध में वादी की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया गया है। आवेदन शपथ पत्र के साथ समय सीमा के पश्चात् दाखिल किया गया है। वादी की ओर से उपसमन अपास्त करने हेतु एवं विलंब को माफ करने हेतु भी निवेदन किया गया है। ऐसी परिस्थिति में न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को 500/—रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादो को निर्देश दिया जाता है कि खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान कर वादी सं0 01 राजबल्लभ राय का नाम काटकर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 15.02.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।